कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ —— /2026 दि0 लखनऊः 07 सितम्बर, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 2636/2026 दिनांक 06.08.2026 के द्वारा माह सितम्बर, 2026 में जनपद नोएडा में युगलपीठ का गठन **दिनांक 07.09.2026 से 09.09.2026 एवं दिनांक 21.09.2026 से 23.09.2026** तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक एवं विभागीय सदस्यों के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 एवं पीठ–2 नोएडा को नामित किया गया है।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 नोएडा द्वारा, पत्र संख्या 114/2026 दिनांक 07.09.2026 से सूचित किया गया है कि न्यायिक सदस्य, पीठ–1, नोएडा दिनांक 17.08.2026 से 30.11.2026 तक बाल्य देखभाल अवकाश पर है अतः उपरोक्त युगल पीठों को निरस्त/शंशोधित करनें की प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश संख्या 2636/2026 दिनांक 06.08.2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद नोएडा **में दिनांक 07.09.2026 से 09.09.2026 एवं दिनांक 21.09.2026 से 23.09.2026 तक गठित युगलपीठो को निरस्त करते हुए, नोएडा में दिनांक 15.09.2026 एवं 16.09.2026** को युगल पीठ का गठन किया जाता है जिसमें अधोहस्ताक्षरी के साथ सदस्य, पीठ–2 नोएडा को नामित किया जाता है । उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-07.09.2026
(रमेश चन्द–I)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0/969 /2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2 नोएडा ।
2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
3– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर), मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner